

इस प्रकार के अस्तित्वरहित होने के कारण ही अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को उच्च जातियों द्वारा उत्पीड़न से बचाने हेतु बनाया गया कानून अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 इन क्षेत्रों में लागू नहीं होता। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार की सुविधाएं और कानूनी प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए हैं, वे ही सुविधाएं जनजातीय दलितों को भी प्रदान की जाएं।

### **Demand to set up wage board for journalists and other employees of newspaper agencies**

SHRI CHITTABRATA MAJUMDAR (West Bengal): Sir, the wages and salaries of the newspaper employees, including journalists are decided under the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous) Provisions Act of 1955. Under the provisions of this Act, wages are fixed through appointment of wage boards for journalists and non-journalist employees of the newspapers and on the basis of the recommendations made by such wage boards. The Government of India, with powers under section 12 of the this Act, notifies wages for the newspaper industry. The last wage boards appointed for the newspaper employees, including journalists in 1994, fixed the wages from 1998, submitting the recommendations to the Government in 2000. Since 1998, the newspaper employees did not get another revision in their wages. With galloping prices of the commodities in the market, the employees are suffering because of erosion in real wages. Though the Prime Minister has been often talking of setting up wage boards for the newspaper industry, but no concrete steps have been taken in that direction so far. I therefore, urge the Government to set up wage boards in respect of newspaper employees immediately.

SHRI P.R. RAJAN (Kerala): Sir, I associate myself with this Special Mention.

### **Concern over attacks on Hindu Houses in Kazhakistan**

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कजाखस्तान में हुई एक गंभीर घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक अप्रत्याशित कदम के तहत कजाखस्तान की पुलिस ने "इस्कॉन" नामक धार्मिक समूह के सदस्यों के, जो हिंदू समूह है, 11 घरों को नष्ट कर दिया। यह कार्यवाही ऐसे वक्त की गई जब कजाखस्तान में तापमान तेजी से गिर रहा है। स्थानीय प्रशासन के एक विशेष सरकारी आयोग ने हिंदुओं को आश्वासन देखा था कि जब तक आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की

जाएगी। किंतु प्रशासन ने अपने वायदे से मुकरते हुए इस सर्दी के मौसम में कजाखस्तान के करासाई जिले में स्थित 11 हिंदु अल्पसंख्यकों के मकानों को ध्वस्त कर दिया।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह कजाखस्तान सरकार के इस कृत्य पर शीघ्र अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करे एवं भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो तथा पीड़ित परिवारों की सहायता एवं सुरक्षा के पुख्त इंतजाम हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाये।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति से वहाँ हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार को तो उक्त मामले में विशेष चिन्ता होनी चाहिए थी।

इसके पूर्व भी दुनिया के अनेक देशों में हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से हिंदुओं के मंदिरों को ढहाया गया था और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई थी।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करती हूँ।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे): श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी अपने आपको इससे संबंध किया है। Her name is here.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): महोदय, मैं भी आने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी अपने आपको इस विशेष उल्लेख से संबंध करता हूँ।

### **Demand for revision of royalty on coal**

SHRI SURENDRA LATH (Orissa): Sir, I would like to bring to the notice of the Government the need for revision of royalty on coal. The 11th Finance Commission has recommended for the revision of royalty every three years and in case such revision does not take place, the States should be fully compensated in the shape of grant-in-aid.

The Planning Commission and also the 12th Finance Commission categorically recommended *ad-valorem* reason for royalty. The State